

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 077/2026

अनवान : -

- 1 धनराज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 2 अजय पुत्र धनराज जाति जाट निवासी बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 3 मेनपाल पुत्र धनराज जाति जाट निवासी बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी


बनाम्

- 1 गुलाबी पुत्री भादरराम पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी साहूवाला त० टिब्बी व जिला हनुमानगढ़ ।
- 2 विजयश्री उर्फ रूकमा देवी पुत्री भादरराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी साहूवाला त० व जिला सिरसा ।
- 3 विमला पुत्री भादरराम पत्नी मनीराम जाति जाट निवसी शेरगढ त० व जिला सिरसा ।
- 4 रेशमां पुत्री भादरराम पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी नथौर त० रानिया जिला सिरसा ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी संजय शर्मा व जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न० 5 एम. के. एस खाता स० 66/71 में दर्ज 2.5050 है. आराजी में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, चक 4 एम. के.एस ? खाता स० 48/42 में दर्ज 0.7590 है० आराजी में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, चक 10 एफ. टी. पी ? खाता स० 65/65 में दर्ज 1.7710 है. आराजी में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व चक 10 एफ.टी.पी खाता सं० 66/156 में दर्ज 0.5060 है. आराजी में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा आराजी के वादीगण ब. हि. ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार प्रतिवादीयागण सं० 1 ता 4 का नाम उपरोक्त वाद भूमि में से कलमजन किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 23/12/26...मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन महायंक्त
टिब्बी R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़